

स्वनिज

09

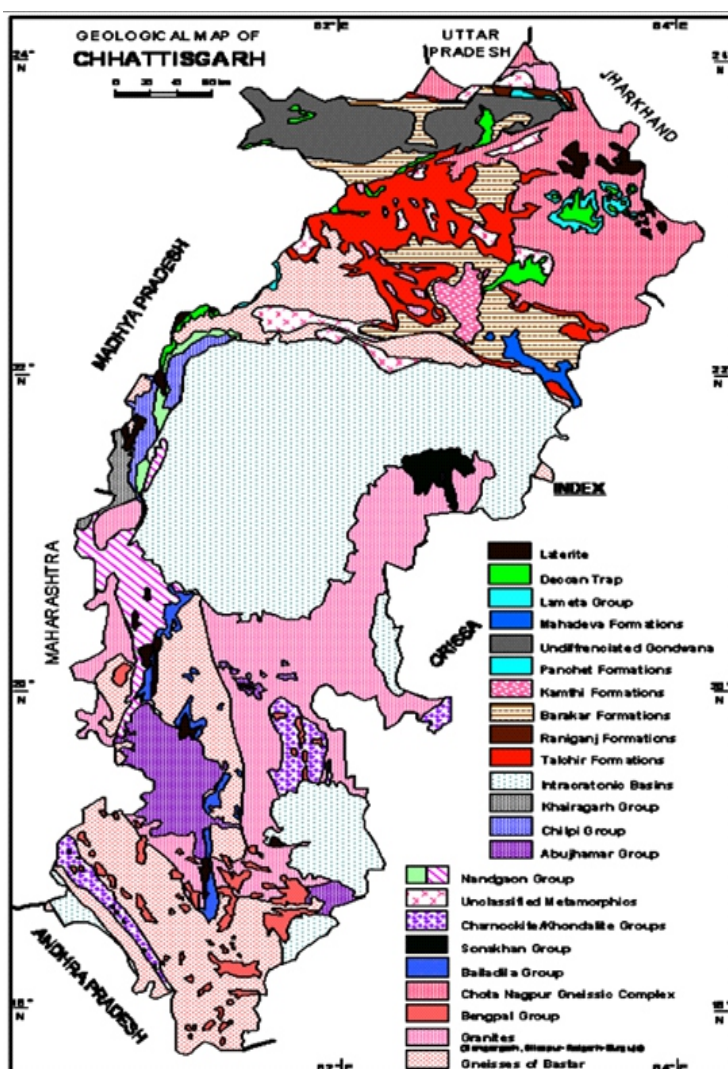
खनिज

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 29,307 करोड़ अनुमानित।
- वर्ष 2021-22 में खनिजों से राजस्व आय 12305.38 करोड़ रु रही।
- वर्ष 2021-22 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य खनिज से 11362.24 करोड़ रुपये आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 252.85 करोड़ रुपये आय हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.80%, लौह अयस्क में 16.27%, चूनापत्थर में 10.67%, बॉक्साइट में 04.30% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।
- कुल राजस्व आय में 97 प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3 प्रतिशत गौण खनिज का हिस्सा है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया।

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 (माह मार्च तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.80%, लौह अयस्क में 16.27%, चूनापत्थर में 10.67%, बॉक्साइट में 4.30% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।

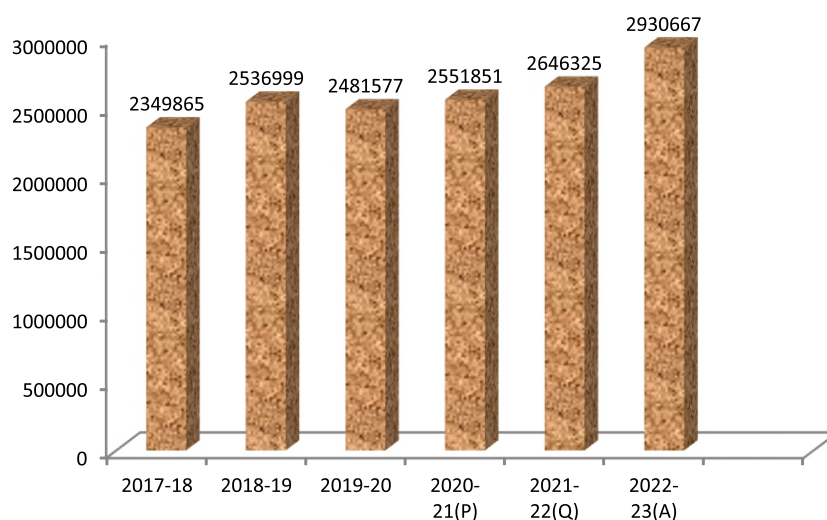
तालिका 9.1 राजस्व आय (करोड़) में	
वर्ष	खनिज राजस्व
2015-16	3709.57
2016-17	4141.47
2017-18	4911.41
2018-19	6110.25
2019-20	6195.73
2020-21	5517.01
2021-22	12305.38



कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र-एकीकृत उद्योग यथा लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)						
सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	2349865	2536999	2481577	2551851	2646325	2930667
वृद्धि (प्रतिशत)	6.81	7.96	-2.18	2.83	3.70	10.74
हिस्सा (प्रतिशत)	11.74	11.38	10.55	10.91	10.48	10.75

खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)



9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कोयला, चूनापत्थर, लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा एवं स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त एलेक्जेंड्राइट, कार्नरुपेन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रनर मोल्डिंग सैंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सैंड, एम्बीलीगोनाइट आदि हैं। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शीपत्थर) मार्बल आदि आकारीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.3- मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2021-22(अप्रैल 21 से मार्च 22)						
मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	154120	-	778190	-	19.80	22.63
लौह अयस्क (000 टन)	41313	218099.18	253973	9638132.8	16.27	11.31
चूना पत्थर (000 टन)	41888	110099.62	392760	973495.5	10.67	4.38
बाँक्साइट (000 टन)	968247	10857.94	22493947	247670.48	4.30	100
टिन (कि.ग्रा.)	26383	321.29	26383	321.29	100.00	0.00
अन्य मुख्य खनिज	16843	5080	34200977	2415145	0.05	
स्रोत-भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन						

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्य:— छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012–13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा, जो कि 2013–14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 9.6 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2017–18 में यह 15.66 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34 प्रतिशत रहा इसका वर्षवार विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)			
वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2013–14	19566	225660	8.7
2014–15	19416	236554	8.2
2015–16	19213	234171	8.2
2016–17	22743	237730	9.6
2017–18	9184	58638	15.66
2018–19	11076	73257	15.12
2019–20	11125.16	74965	14.31
2020–21	14441	78451	17.60
2021–22	23023	132748	17.34

स्रोत—भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.4 खनिज अन्वेषण कार्य:— वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1007 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 3,220 मीटर ड्रिलिंग की गई है। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 2,843 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 16,613 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

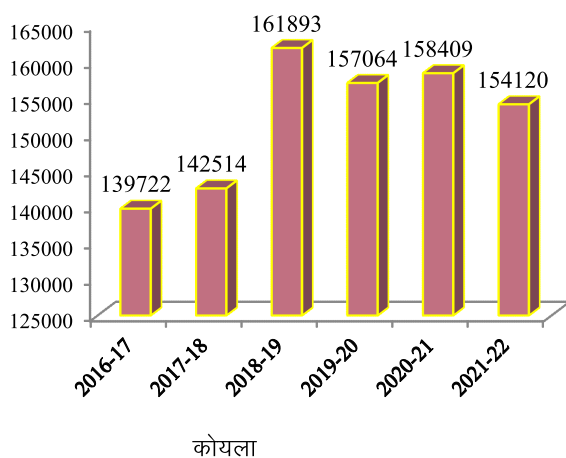
तालिका 9.5 वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण						
क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2019–20		2020–21 (सितं-20)	
			लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	सर्वेक्षण/मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	1104.74	1007	512.88	184.32
2	ड्रिलिंग	मीटर	3050	3220	4050	450.00
3	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	40000	16613	40000	13719

9.5 खनिज उत्पादन:—

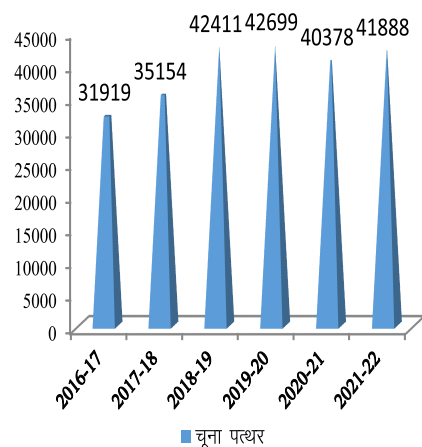
9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादन:— जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टिन तथा बॉक्साइट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। विगत वर्षों में मुख्य खनिज का उत्पादन का विवरण तालिका 9.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.6 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)						
मुख्य खनिज	16-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कोयला	139722	142514	161893	157064	158409	154120
लौह अयस्क	31068	34856	34945	34724	35839	41313
चूना पत्थर	31919	35154	42411	42699	40378	41888
बॉक्साइट	1954	1901	1532	1566	715	968
टिन (कि.ग्रा.)	12120	16757	21211	15530	16865	26383

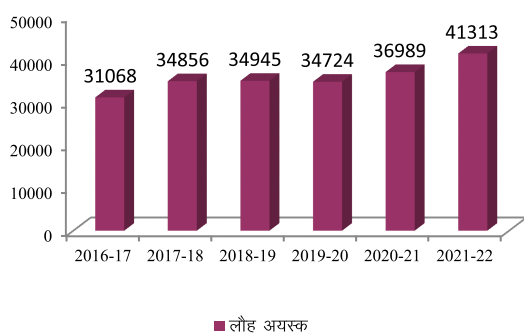
कोयला उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)



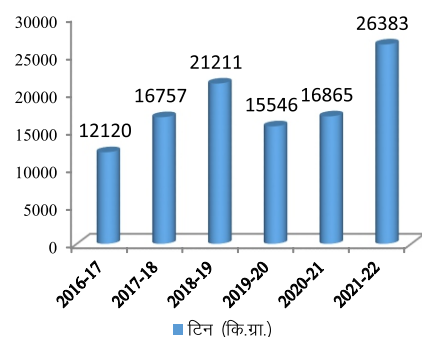
चूना पत्थर उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)



लौह अयस्क उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)



टिन उत्पादन का वर्षवार विवरण (कि.ग्रा.)



9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादन:— वर्ष 2021–22 में राज्य में रु. **102438.63** लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.7 गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण (मात्रा टन में एवं मूल्य लाख रु. में)								
खनिज का प्रकार	2018–19 उत्पादन		2019–20 उत्पादन		2020-21 उत्पादन		2021-22 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्थर	4301776	13765.68	3066816	9813.81	3598556	11695.31	4294037	13955.56
मिट्टी	1710734	3763.61	1066559	3089.91	192769	578.31	2721417	6259.15
मुरुम	5509403	12120.69	4598737	10117.22	3617266	8319.71	7452384	17140.33
फशीपत्थर	214757	633.53	168757	497.83	7966596	18323.17	173261	519.75
ग्रेनाईट (घ.मी.)	888	26.61	1051	31.52	789	24.45	945	29.27
चूना पत्थर	11050829	42545.68	8252930	31773.79	11171679	44128.12	11018847	43524.38
डोलोमाईट	4383177	17313.55	3738411	14766.72	5040087	20160.35	5101207	20404.80
क्वार्टज	52167	224.31	49067	210.99	34757	356.26	56094	246.81
क्वार्टजाइट	30429	311.89	97650	1000.91	27667	121.73	34985	358.58

9.6 राजस्व आय :— छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्य खनिज से 7320.35 करोड़ रु. आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 252.85 करोड़ रु. आय हुई है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका क्र. 9.8 पर दर्शित है:—

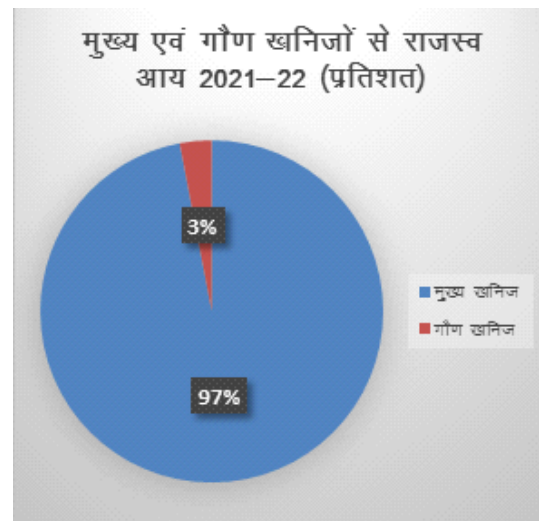
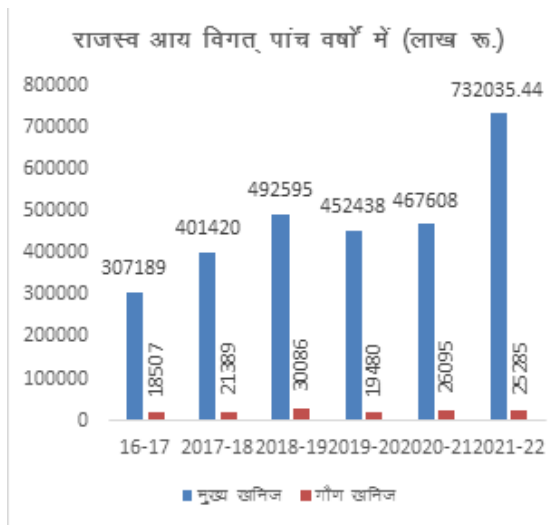
तालिका 9.8 मुख्य एवं गौण खनिजों से राजस्व आय (राशि लाख रु. में)					
मुख्य खनिज	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कोयला	236289.79	271350.59	233687.11	235586.09	252351.97
लौह अयस्क	129085.81	183769.52	182849.59	197062.43	422392.87
चूनापत्थर	31307.81	34433.27	32897.10	33648.05	33850.50
बाक्साइट	4717.27	2948.71	2686.93	1295.38	2401.16
टिन अयस्क	15.83	13.82	10.15	9.38	16.13
रत्नर मोल्लिंग सेण्ड	0.53	1.24	1.74	3.12	2.73
मोल्लिंग सेण्ड	2.76	1.81	1.04	0.13	2.06
गोल्ड	0	0	0	0	0
विविध आय	0	76.13	304.00	3.77	21018.02
योग	401419.80	492595.09	452437.66	467608.35	732035.44

गौण खनिज

चूनापत्थर	9451.00	8840.66	6602.34	8937.34	8815.08
डोलोमाइट	2340.02	3944.86	3364.57	4536.08	4591.09
क्वार्टज एवं क्वार्टजाइट	71.63	89.55	180.87	73.56	99.47
पत्थर	2905.10	3635.00	2591.46	3057.71	3628.46
फायरक्ले	4.25	11.25	3.45	11.26	4.05
फर्शीपत्थर	117.50	167.51	131.63	150.36	135.14
मिट्टी	106.16	581.65	362.63	1229.87	925.28
मुरुम	813.32	1570.18	1310.64	2271.07	2123.92
रेत	5.11	2.69	37.57	0	0
ग्रेनाइट	24.14	17.74	21.01	15.77	18.90
क्वार्टजाइट/सिलिका	0.11	19.27	0.60	1.47	0.75
सोपस्टोन	0.36	0	0.07	0	0.18
व्हाईट क्ले	0.20	0.66	1.19	0.60	0.60
चाईना क्ले	0.23	0	0	0	0
कोरण्डम	0.18	2.22	1.32	0	1.63
विविध आय	5549.38	11202.90	4870.60	5810.32	4941.08
योग	21388.69	30086.14	19479.95	26095.41	25285.63
गौण खनिज रेत से प्राप्तियां	0	0	452.05	1806.27	1474.98
अर्थदण्ड एवं राजसात से प्राप्तियां	1124.23	1522.03	61886.30	6836.72	2346.90
विविध प्राप्तियां	927.11	949.27	3252.15	15711.25	1887.12

नीलामी से प्राप्त राशि

मुख्य खनिज कोयला	65241.32	85109.68	81268.67	29768.64	57252.99
गौण खनिज	3.56	226.89	554.72	227.76	328.88
अन्य मुख्य खनिज (कोयला छोड़कर)	1036.66	534.44	241.10	1904.83	4219.56
150 प्रतिशत अतिरिक्त राशि	0	0	0	0	404188.65
गौण खनिज रेत से प्राप्त राशि	0	0	0	1742.23	1518.42
कुल योग	491141.37	611023.54	619572.60	551701.46	1230538.57



इसके अतिरिक्त रेत, गिट्टी, मुरुम, फर्शीपत्थर, कले, ग्रेनाइट, सेन्ड स्टोन आदि भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं।

9.7 मुख्य खनिज ब्लॉक्स की ई-नीलामी:— नवीन खनिज अधिनियम/नियमों के तहत मुख्य खनिज ब्लॉक्स का खनिपट्टा/कम्पोजिट लायसेंस हेतु आबंटन ई-ऑक्शन/टेंडर के माध्यम से वर्ष 2015 से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अब तक कुल 21 खनिज ब्लॉक्स (09 चूनापत्थर, 07 लौह अयस्क, 03 बाक्साइट, 01 गोल्ड एवं 01 अन्य) की नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। 07 लौह अयस्क, 02 बाक्साइट, 01 चूनापत्थर, ग्रेफाइट व ग्लूकोनाइट के 02-02 एवं 01 निकल-क्रोमियम खनिज ब्लॉक्स के नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2022-23 में विभिन्न खनिजों कुल 53 ब्लॉक्स का आबंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

9.8 खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना:— खनिज विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के Ease of Doing Business के उद्देश्य से प्रदेश में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा एक Web Based Integrated Mines and Minerals Management System “खनिज ऑनलाईन” योजना जून, 2017 से संचालित है।

नई सरकार द्वारा योजना की समीक्षा उपरांत आईटी क्षेत्र में हो रहे सतत innovations के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण कार्य डिजिटल और Paperless करते हुए खनिज ऑनलाईन परियोजना को अपने नए स्वरूप में बहुआयामी और सारे हितधारकों के लिए सरल बनाया जाए। तदनुसार डेस्कटॉप वर्सन सहित क्लाउड

आधारित वीटीएस, मोबाईल ऐप, इंटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर युक्त खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना निर्माण की परिकल्पना जून, 2019 में की गई।

जीपीएस आधारित मिनरल व्हीकल मॉनिटरिंग एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएमएस) से जहां पोर्टल में रजिस्टर्ड वाहनों द्वारा ट्रांजिट पास अनुसार स्रोत से अंतिम स्थल तक खनिज परिवहन की गतिविधियों का **Live tracking** हो सकेगा, वहीं एण्ड्रायड / आईओएस आधारित मोबाईल ऐप विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य दैनिक गतिविधियों के निष्पादन एवं जानकारी के सरल संप्रेषण हेतु सहायक होगा। ऐप के माध्यम से ही QR कोड आधारित पेपरलेस ट्रांजिट पास की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। **Integrated Command Control Centre (CCC)** प्रशासकीय दृष्टि से निर्णय लेने हेतु एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा, जहां फील्ड आईटी उपकरणों, खनिज गतिविधियों एवं उनके खनन संक्रियाओं की निगरानी, दैनिक संक्रियाओं का समन्वय हो सकेगा। कमजोर अथवा गैर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में कार्य हेतु पोर्टल का डेस्कटॉप वर्सन सहायक होगा। इसी प्रकार **Redundancy & Disaster Recovery** युक्त **Cloud based Server** तत्कालीन खराबी अथवा आपदा की स्थिति में आटोमेटिक स्वीच ओवर एवं आवश्यकतानुसार क्षमता वृद्धि हेतु प्रभावी व्यवस्था होगी।

तदनुसार नोडल एजेंसी चिप्स के माध्यम से क्यूसीबीएस आधारित ऑनलाईन टेंडर के माध्यम से खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना के डेवलपमेंट एवं संचालन/रख-रखाव हेतु लगभग 90 करोड़ लागत की 05 वर्षीय योजना हेतु मेसर्स सिनेसिस टेक लिमिटेड का चयन किया जाकर दिनांक 16.10.2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है। कंपनी द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना प्रदेश में खान एवं खनिजों के आई.टी. आधारित समग्र प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण देश में स्थापित करेगा।

9.9 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :- भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15(क) के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

न्यास के कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वोक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ

के रूप में प्राप्त की जा रही है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में सितम्बर 2022 तक 9864 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रगति:— प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप सितम्बर 2022 तक प्रदेश में 10396 करोड़ रुपये की 71 हजार से अधिक कार्यों की स्वीकृति जिलों में जारी किये गये हैं, जिसमें 43 हजार से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 7320 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

9.9.1 प्रदेश में DMF से संपादित प्रमुख कार्य—

- विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है:— शिशु रोग, हड्डी रोग, शल्य चिकित्सक, फारेसिक, स्त्री रोग, निश्चेतना, मेडिसीन, गहन इकाई चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य।
- सभी जिलों में कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं हेतु मध्याह्न भोजन (खीर वितरण)/ प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था की जा रही है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। स्वास्थ्य से संबंधित अधोसंरचना। जगदलपुर के महारानी अस्पताल का जीर्णोद्धार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार। सूरजपुर जिले में मोबाईल यूनिट का संचालन।
- डायलिसिस यूनिट की शुरुवात होने से मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किडनी संबंधी रोगियों को बड़ी राहत मिलने लगी है। जिला अस्पताल कोरिया में डायलिसिस की सुविधा नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था जिससे अब मरीजों को राहत मिलेगी।
- शिक्षकों की मानदेय की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास, लैब एवं लाईब्रेरी का उन्नयन तथा इंग्लिश स्कूल के संचालन में अंशदान।
- कबीरधाम जिले में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति की गई है। जिससे शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि एवं बैगाओं हेतु रोजगार सृजन किया गया है।
- रायगढ़ जिले में 524 शालाओं में पुस्तकालय बनाये गये हैं।
- सुकमा जिले के विकास खण्ड कोण्टा में 2006 से बंद 123 शालाओं को प्रारंभ किया जाकर स्थानीय युवक एवं युवतियों को शिक्षादूत की नियुक्ति।

- खनन प्रभावित कृषकों के आजीविका उन्नयन हेतु, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप स्थापना।
- गोठान विकास एवं रोजगारमुखी कार्यों का सृजन।
- सिंचाई हेतु डीजल एवं विद्युत पम्प वितरण, ड्रीप स्थापना अनुदान।
- डेयरी पालन हेतु अनुदान राशि।
- बाड़ी विकास योजना के तहत प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों के किसानों को ड्रीप प्रतिस्थापन।
- लघु एवं सीमांत अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के कृषकों को कृषि घटक के रूप में पॉवर स्प्रेयर एवं कृषि दवाईयाँ उपलब्ध कराई गयी, जिससे उनकी फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।
- पेयजल हेतु सोलर पम्प की स्थापना।
- फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में फ्लोराइड रिमूवल स्थापना कार्य।
- वाटर एटीएम एवं पाईप लाईन से पेयजल व्यवस्था।
- खनन प्रभावित 44 ग्रामों में नल जल प्रदाय योजना एवं आवर्धन जल प्रदाय योजना।
- छात्र/छात्राओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों में वाटर प्यूरिफायर सिस्टम की स्थापना की गई है।
- दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत, छात्रावास, चिकित्सालयों में पाईप लाईन से पेयजल की व्यवस्था।
- सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के ऐसे स्थलों में किया गया है, जहाँ पीने की पानी की समस्या थी। उक्त कार्य से ग्रामीणों को पीने हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
- सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना।
- वृद्ध एवं निःशक्तजनों के कल्याण हेतु दिव्यांगजनों को बैटरी चलित सायकल प्रदाय।
- श्रवण यंत्र (डिजिटल) प्रदाय, ई-ब्रेल स्मार्ट क्लास।
- सुकमा जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए 100 सीटर आवासीय विद्यालय प्रारंभ।

- जीविकोपार्जन हेतु स्वरोजगार के विभिन्न कार्य किया जा रहा है। जैसे— ई—रिक्षा, मधुमक्खी पालन, बटेर पालन, मछली पालन, झिंगा पालन, महुआ पत्ता प्रसंस्करण, बांस आधारित कार्य।
- महिला एवं स्वसहायता समूहों को मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मशरूम उत्पादन के माध्यम से न केवल महिलाएं स्वालम्बी हुई हैं।
- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य बीज, जाल, प्रशिक्षण एवं परिपूरक आहार। मसाला उत्पादन इकाई का स्थापना कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- जशपुर जिले में 195 कृषकों को मिनी राईस मील उपलब्ध कराया गया है।
- खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों को मच्छरदानी किया गया है। इस अभियान के प्रारंभ से अब तक दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया वार्षिक परजीवी सूचकांक में 34.89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए दंतेवाड़ा जिले के 143 ग्राम पंचायतों में देवगुडी कायाकल्प कर उसे पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित करने तथा आदिवासियों की अमूल्य संस्कृति एवं धरोहर को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है।
- कोविड नियंत्रण हेतु डीएमएफ से अंशदान दिया जा रहा है।

तालिका क. 9.10 मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में डीएमएफ का अंशदान			
(सितम्बर 2021 तक, राशि करोड़ रुपये में)			
क्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	369	195
2	नरुवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी	413	229
3	मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना	38	20
4	मुख्यमंत्री स्लम अस्पताल योजना	7	1
5	मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	5	1
6	इंग्लिश मिडियम स्कूल हेतु	243	191
7	गौठान विकास	237	160

9.10 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड :- छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.), छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत-प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन द्वारा व्यवसाय बढ़ाना है।

9.10.1 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :-

9.10.2 कोल परियोजना:- भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा जिला-कोरबा स्थित केरवा कोल ब्लॉक का आदेश दिनांक 21.07.2016 के माध्यम से सी.एम.डी.सी. एवं एम.पी. एस.एम.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कम्पनी केरवा कोल लिमिटेड (के.सी.एल.) के पक्ष में आबंटित किया गया है।

केरवा कोल ब्लॉक हेतु कोल ब्लॉक डेव्हलपमेंट एवं प्रोडक्शन एग्रीमेंट (सी.बी.डी.पी.ए.) का निष्पादन दिनांक 18.08.2017 एवं 04.01.2019 (First Amendment) को किया गया है।

केरवा कोल लिमिटेड पूर्वेक्षण हेतु दिनांक 25.06.2020 को अनुबंध निष्पादन किया गया तथा समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर दिनांक 01.07.2020 से अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक आउट सोर्सिंग के माध्यम से 40,753.00 मीटर वेधन का कार्य पूर्ण किया गया है। वेधन से प्राप्त कोर नमूनों को भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। वेधन से प्राप्त नमूनों को भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण का परिणाम के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 30.03.2022 को खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

9.10.3 लौह अयस्क परियोजना :- सी.एम.डी.सी. की मुख्यतः 01 आरीडोंगरी लौह अयस्क परियोजना संचालित है। उक्त के अतिरिक्त एन.एम.डी.सी. एवं सी.एम.डी.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी.लि. (एन.सी.एल.) के पक्ष में बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक-13, स्वीकृत है एवं बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक-04 को भारत सरकार द्वारा 05 वर्षों के लिए आरक्षित किया गया है।

आरीडोंगरी लौह अयस्क खदान का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 1,57,520.310 मिट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है। उक्त खदान से वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीएमडीसी को लगभग 66.78 करोड़ रुपये एवं राज्य शासन को राजस्व के रूप में 65.73 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। बैलाडीला लौह

अयस्क निक्षेप क्रमांक-13 की समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर खनिपट्टा अनुबंध का निष्पादन दिनांक 10.01.2017 को पूर्ण कर लिया गया है, इसके विकास एवं दोहन हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी (एनसीएल) के माध्यम से एम.डी.ओ. का चयन किया गया है। वर्तमान में परियोजना बंद है। प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।

एन.सी.एल. के आवेदन पर संज्ञान लेते हुये भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क डिपॉजिट क्रमांक-04 रकबा 646.596 हे. आरक्षित वन क्षेत्र को एम.एम.डी. आर. एक्ट, 1957 की धारा 14(ए)1 के तहत एन.सी.एल. के पक्ष में अधिसूचना दिनांक 30.06.2019 के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि हेतु आरक्षित किया गया। तदोपरान्त छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र दिनांक 26.06.2021 के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.4 बाक्साइट परियोजना :- सी.एम.डी.सी. द्वारा जिला सरगुजा के 05 क्षेत्रों में खनन एवं विपणन का कार्य प्रारंभ है। वर्ष 2021-22 में इन खदानों से सीएमडीसी को बाक्साइट के मूल्य (कमीशन) के रूप में राशि रु. 4.95 करोड़ तथा राज्य शासन को रायल्टी एवं अन्य कर के रूप में राशि रुपये 2.21 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2022-23 में इन खदानों से सीएमडीसी को बाक्साइट के मूल्य (कमीशन) के रूप में लगभग राशि रु. 11.46 करोड़ तथा राज्य शासन को रायल्टी एवं अन्य कर के रूप लगभग राशि रु. 25.71 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

सी.एम.डी.सी. द्वारा खनिज बाक्साइट के खनिपट्टा हेतु जिला सरगुजा-06, कबीरधाम-02, बलरामपुर-01 एवं जशपुर-01 क्षेत्रों में आवेदन किया गया है। जिसमें से शासन द्वारा उक्त सभी क्षेत्र के लिए एल0ओ0आई0 जारी किया जा चुका है। उक्त क्षेत्रों का माइनिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है तथा पर्यावरण स्वीकृत की कार्यवाही प्रचलन में है।

तालिका 9.11 बाक्साइट परियोजना		
वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मिट्रिक टन में)	परिवहन (मिट्रिक टन में)
2015-16	130984.730	130984.730
2016-17	75157.540	75157.540
2017-18	556900.790	556900.790
2018-19	180133.900	180133.900
2019-20	1,54,533.380	1,54,533.380
2020-21	52,841.130	52,841.130
2021-22 (नवंबर, 2021 तक)	63,001.210	63,001.210

9.10.5 कोरण्डम खनिज परियोजना:— अविभाजित मध्यप्रदेश शासन द्वारा तत्कालीन जिला बस्तर (वर्तमान में जिला कांगेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा) के समस्त कोरण्डम खनिज धारित क्षेत्रों को मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वतः खनन के लिए अधिसूचना क्रमांक 19-4/28/XII/7017 भोपाल दिनांक 16 जून 1978 द्वारा सुरक्षित किया गया है। राज्य पुनर्गठन के उपरान्त यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है।

कोरण्डम खनिज के लिए वर्ष 2022-23 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। जिला बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कोरण्डम खनिज के स्वीकृत खनिपट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें कार्पोरेशन को प्रतिवर्ष कम से कम रु. 5.00 लाख की शुद्ध आय निश्चित है तथा कार्पोरेशन का उक्त व्यवसाय प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के लगभग 10 गांव के 150 परिवारों को परोक्ष रूप से एवं 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

9.10.6 केसेटराईट खनिज (टिन अयस्क) परियोजना:— सी.एम.डी.सी. के पक्ष में केसेटराईट खनिज के कुल 14 खनिपट्टा स्वीकृत है, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तान्तरित किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की संचालित 05 सहकारी समितियों के माध्यम से टिन खनिज का क्रय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 (माह नवम्बर 2022 तक) सहकारी समितियों के 225 सदस्यों को लगभग राशि रु. 3,95,29,938.00 (तीन करोड़ पनचान्नबे लाख उनतीस हजार नौ सौ अड़तीस रुपये मात्र) का भुगतान किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र में टिन अयस्क का क्रय एक जन हितकारी योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के हित के लिये किया जा रहा है, इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 250 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

9.10.7 खनिज अन्वेषण कार्य के संबंध में:— सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 5878 मीटर वेधन कार्य किया गया। खनिजों के गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 6473 बाक्साईट खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला के माध्यम से करवाया गया। सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 (माह नवम्बर, 2022 तक) में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण लगभग 430 मीटर वेधन कार्य किया गया एवं कुल 237 नमूनों के रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। शीघ्र ही बाक्साईट ब्लॉकों के जियोलाजिकल रिपोर्ट को तैयार किया जावेगा।

9.10.8 बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.):— रावघाट जगदलपुर (रावघाट—कोंडागांव 68.51 कि.मी. एवं कोंडागांव—जगदलपुर 71.49 कि.मी.) रेल लाईन 140 कि.मी. के विकास हेतु एन.एम.डी.सी., सेल, इरकॉन एवं सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 05.05.2016 को संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। वर्तमान में रेल परियोजना से संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.9 छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (सी.सी.एल.):— छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन तथा बेनीफिसिएशन एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेन्ट को विभिन्न क्रेताओं को विक्रय हेतु सी.एम.डी.सी. तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य दिनांक 30.08.2016 को जे.व्ही.ए. का निष्पादन किया जाकर, दिनांक 21.05.2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। संयुक्त उपक्रम कम्पनी के गठन उपरान्त जे.व्ही. कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हिरर तथा बोदल 02 क्षेत्रों को जे.व्ही. कम्पनी के लिये आरक्षित करने हेतु दिनांक 09.07.2021 को राज्य शासन द्वारा भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.10 डोलोमाईट खनिज परियोजना:— छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 3—14/2021/12, दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से ग्राम—छीतापड़रिया, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर—चांपा स्थित खनिज डोलोमाईट धारित क्षेत्र कुल रकबा 407.410 हेक्टर को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में आरक्षित किया गया है। उक्त क्षेत्र को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया है।

9.10.11 डायमंड परियोजना:— एनएमडीसी एवं सीएमडीसी के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एनएमडीसी—सीएमडीसी (एनसीएल) के माध्यम से जिला महासमुंद के तहसील सरायपाली में बलौदा—बेलमुण्डी डायमंड ब्लॉक के रकबा 156.80 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा एनसीएल के पक्ष में पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएं आरंभ करने हेतु आरक्षित किया गया है

तालिका क. 9.12 प्रमुख खनिज उत्पादन में राज्य का योगदान प्रतिशत (लौह अयस्क एवं कोयला मात्रा हजार टन)										
क.	वर्ष	केन्द्र			राज्य			कुल उत्पादन में राज्य का योगदान प्रतिशत में		
		लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइट (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइट (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइट
1	2017-18	200955	678533	22312681	34546	142510	2558453	17.19	21.00	11.47
2	2018-19	206446	728718	23687721	34945	161893	1532600	16.93	22.22	6.47
3	2019-20	246081	729023	21823793	34724	157064	1566108	14.11	21.54	7.18
4	2020-21	181806	619971	18057749	32019	130770	644814	17.61	21.09	3.57
5	2021-22	253973	778190	22493947	41313	154120	968247	16.27	19.80	4.30
स्रोत - भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन										

